23.7.2021	वकील फरीकैन उपस्थित। पत्रावली के निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय की प्रति मूल नामान्तकरण पत्रावली के साथ तहसीलदार करौली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। **उपखण्ड अधिकारी** **करौली (राज०)**	जावी 1875 8.9.21 मूल नाम० मिसल ग्राम चूराद नामा सं 5.783 ग्राम पं० गुनसा० ब निर्णय प्रति पत्र तैलाय मय मिसल गयी तहसीलदार करौली को

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2021.10.10 15:28:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी करौली

पीठासीन अधिकारी देवेन्द्रसिह परमार आर.ए.एस

मु0न0	किस्म मुकदमा	तारीख रजू	ता0फैसल
04 / 020	अपील नामान्तरण	13.3.2020	27.7.2021

उनवान

रामदयाल पुत्र राजस्वरूप जाति माली निवासी अस्तल मजरा मांच ग्राम पंचायत गुनेसरा पंचायत समिति करौली तहसील व जिला करौली ——अपीलान्ट

बनाम

1.ग्राम पंचायत गुनेसरा पंचायत समिति करौली जरिये संरपंच ग्राम पंचायत गुनेसरा तहसील व जिला करौली
2. गोपाल पुत्र रामस्वरूप उम्र 22 साल
3 पानो वेवा रामस्वरूप उम्र 66 साल
4 राजन्ती वेवा रामस्वरूप उम्र 62 साल
5 श्यामलाल पुत्र कन्हैया उम्र 65 साल
6 मोहन पुत्र कन्हैया उम्र 52 साल
7 मोहरबाई पुत्री कन्हैया उम्र 56 साल

} सभी जाति माली निवासी मजरा मांच तहसील व जिला करौली

——रेस्पोडेन्टस

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 05.06.2014 बाबत नामान्तकरण संख्या 62 ग्राम धूगढ पटवार हल्का गुनेसरा तहसील व जिला करौली।

निर्णय दिनांक 23.7.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस आशय की प्रस्तुत की है कि निर्णय दिनांक 05.06.2014 नामान्तकरण संख्या 62 ग्राम धूगढ अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट नं. 1 खिलाफे कानून रूऐदाद मिसल है पूर्णतया आर्वीट्रेटरी है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट नं. 1 द्वारा अपीलान्ट को कोई सुनवाई का नोटिस व अवसर नहीं दिया गया है। निर्णय एकपक्षीय है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना करकर पारित किया गया है। पटवारी हल्का ने अपीलान्ट का नाम नामान्तकरण अपीलान्ट के रामदयल के स्थान पर गोविन्द बिना किसी आधार के गतल तौर दर्ज किया गया है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता 7 से जांच किये गलत रूप से अपीलान्ट का नाम रामदयाल के स्थान पर गोविन्द दर्ज कर दिया है गिरदांवर हल्का द्वारा भी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता 7 से कोई जांच नहीं की है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपीलान्ट को बिना सुने गलत तौर पर उक्त निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध है। अपीलान्ट का वास्तविक नाम रामदयल है। अपीलान्ट के सभी कागजात, परिचय पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, में अपीलान्ट का नाम रामदयाल ही [illegible] स्थिति में जैर अपील निर्णय नामान्तकरण संख्या 62 ग्राम धूगढ तह[illegible] करौ[illegible] निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को उक्त नामा[illegible] नामान्तकरण दिनांक 11. 02.2020 लेने पर अपीलान्ट का नाम रामदयाल के स्थान गोविन्द दर्ज होने तब अपीलान्ट दिनांक 11.02.2020 को नकल नामान्तक[illegible] की नकल आवेदन करने पर एवं दिनांक 11.02.2020 को नकल नामान्तकरण प्राप्त करने पर उक्त निर्णय की जानकारी हुई है। इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2021.10.10 15:28:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

दिनांक 05.06.2014 से दिनांक 11.02.2020 तक का समय जानकारी अपीलान्ट के अभाव में कण्डोन किये जाने योग्य है। जानकारी दिवस दिनांक 11.02.2020 से अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद पेश है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना अपील के साथ मय शपथ पत्र प्रस्तुत है। न्यायालय हाजा को अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार है। अन्त में अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलान्ट का नाम नामान्तकरण संख्या 62 दिनांक 05.06.2014 ग्राम धूगढ तहसील करौली में अपीलान्ट का नाम रामदयाल के स्थान पर गोविन्द दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पोडेन्ट ने जबाव पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलान्ट का बहस में कथन है कि पटवारी हल्का ने विरासत नामान्तकरण अपीलान्ट का नाम रामदायल नामान्तकरण दर्ज करते समय अपीलान्ट का नाम अनाधिकार तौर पर बिना जांच किये बिना अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता 7 से जांच किये गलत रूप से अपीलान्ट का नाम रामदयाल के स्थान पर गोविन्द दर्ज कर दिया है गिरदावर हल्का द्वारा भी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता 7 से कोई जांच नहीं की है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपीलान्ट को बिना सुने गलत तौर पर उक्त निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध है। अपीलान्ट का वास्तविक नाम रामदयाल है। अपीलान्ट के सभी कागजात, परिचय पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, में अपीलान्ट का नाम रामदयाल ही दर्ज है। ऐसी स्थिति में जैर अपील निर्णय नामान्तकरण संख्या 62 ग्राम धूगढ तहसील करौली निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण की जानकारी नकल नामान्तकरण दिनांक 11.02.2020 में अपीलान्ट का नाम रामदयाल के स्थान गोविन्द दर्ज होने एवं नामान्तकरण संख्या 62 दिनांक 05.06.2014 से उक्त नाम दर्ज पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 11.02.2020 को अपीलान्ट द्वारा नामान्तकरण की नकल आवेदन करने पर एवं दिनांक 11.02.2020 को नकल प्राप्त करने पर उक्त निर्णय की जानकारी हुई है। इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं रही है। दिनांक 05.06.2014 से दिनांक 11.02.2020 तक का समय जानकारी अपीलान्ट के अभाव में कण्डोन किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिविरूद्ध है एकपक्षीय है। अपीलान्ट का नाम नामान्तकरण नं0 62 दिनांक 05.06.2014 ग्राम धूगढ में गोविन्द के स्थान पर रामदयाल दर्ज किया जावे। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे।

बहस वकील अपीलान्ट का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज व नामान्तकरण का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट का नामं समस्त कागजात जैसे परिचय पत्र, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड में अपीलान्ट का नाम रामदयाल ही दर्ज है। इस प्र[illegible] से अपीलान्ट का नाम रामदयाल होना ही प्रकट होता है। गोविन्द [illegible] नाम[illegible]करण में गलत दर्ज हुआ जो संशोधित किये जाने एवं [illegible] दिवस से अन्दर म्याद शुमार किये जाने एवं अपील [illegible] जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की ज[illegible] है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम धूगढ रेस्पोडेन्ट नं0 1 का निर्णय बाबत् नामान्तकरण संख्या 62 दिनांक 05.06.2014 ग्राम धूगढ तहसील करौली अपीलान्ट के नाम की हद तक निरस्त किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2021.10.10 15:28:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तहसीलदार करौली को नामान्तकरण संख्या 62 दिनांक 05.06.2014 ग्राम धूगढ तहसील करौली में अपीलान्ट का नाम गोविन्द के स्थान पर रामदयाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रति पालनार्थ तहसीलदार करौली को भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2021.10.10 15:28:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner